

2023/207 D

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नावां (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :- श्री अंशुल सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थी  
राज. सरकार जरिये  
उपतहसीलदार चितावा कुचामन सिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. छीतरराम पुत्र नानूराम जाति गुर्जर
2. दाखादेवी पत्नि नानूराम जाति गुर्जर
3. रामचन्द्र पुत्र नानूराम जाति गुर्जर
4. सुरजाराम पुत्र नानूराम जाति गुर्जर  
सा. देवनगर तह. कुचामन सिटी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.ए.

मुकदमां नम्बर :- 85/2023

निर्णय दिनांक :- 19.07.2023

आदेश

उप तहसीलदार चितावा कुचामन सिटी ने ग्राम देवनगर पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 731 रकबा 0.19 हैक्टर किस्म बारानी-3 में से प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते के विवरण में दी गई भूमि वर्षों से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं। नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। लेकिन उक्त खसरा नम्बरान में से राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं होकर बारानी-3 दर्ज हैं। उप तहसीलदार चितावा कुचामन सिटी ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम देवनगर पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 731 रकबा 0.19 हैक्टर किस्म बारानी-3 में से प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बारानी-3 से गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम देवनगर पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 731 रकबा 0.19 हैक्टर किस्म बारानी-3 दर्ज रिकार्ड हैं तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं तथा मौके पर वर्षों से रास्ता कायम हो रखा है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम देवनगर पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 731 रकबा 0.19 हैक्टर किस्म बारानी-3 में से प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित भूमि मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग आ रही हैं। प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित हैं लेकिन जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं हैं तथा उप तहसीलदार चितावा कुचामन सिटी ने उक्त खसरा नम्बर की भूमि को गै.मु. रास्ता जमाबंदी में दर्ज करने हेतु अपनी सहमति दी हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक/प.3(2) राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 ऐसे रास्तों को रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निर्देश दिये हैं।

अतः उप तहसीलदार चितावा कुचामन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 में दिये गये प्रावधानों के अनुसरण में ग्राम देवनगर पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 731 रकबा 0.19 हैक्टर किस्म बारानी-3 भूमि में से 0.0360 हैक्टर भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता जो कि सभी रिकॉर्डेड खातेदारों की खातेदारी में रहेगा, दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। खातेदारों की खातेदारी यथावत रहेगी। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा। आदेश की प्रति उप तहसीलदार चितावा कुचामन सिटी को पालनार्थ भिजवाई जावें।



(अंशुल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी, नावां  
नावां (नागौर)